

न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 07 / 2022

अनिल कुमार उचित मूल्य दुकानदार वार्ड न. 3 व 4 कस्बा नदबई जिला भरतपुर  
.....अपीलान्त

बनाम

जिला रसद अधिकारी, (द्वितीय) भरतपुर जरिये पैरोकार रसद  
.....रेसपो

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर  
दिनांक 17-02-2017, प्रकरण संख्या 58/2016



निर्णय


दिनांक 24-01-2023

अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 17-02-2017 से प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई थी। अपीलान्त ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 17-02-2017 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में पेश की गई। इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 15/2017 को अपीलान्त एवं उनके अभिभाषक की अनुपस्थित होने से आदेश दिनांक 04.07.2019 को खारिज कर दी गई। अपीलान्त ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04-07-2019 के खिलाफ एक अपील माननीय खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर के समक्ष पेश की गई।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर ने अपीलान्त की पुनरीक्षण याचिका संख्या- 57/2019 उनवानी अनिल कुमार पुत्र हरप्रसाद बनाम जिला रसद अधिकारी वगे० स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 02-02-2022 से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2019 को अपास्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला कलक्टर भरतपुर को पुनः प्रेषित (Remand) किया कि रिविजनकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर के निर्णय दिनांक 02-02-2021 के परिप्रेक्ष्य में अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्षकारान की तलबी की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्त की ओर से लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई है।

.....2

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)


(2)

अपील / रसद / 07 / 2022  
अनिल कुमार बनाम डी.एस.ओ.भरतपुर

पैरोकार रसद ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने पोस मशीन से एक ही आधार नम्बर 71768396633 का उपयोग कर प्राधिकृत अधिकारी की आईडी का दुरुपयोग कर पृथक पृथक राशनकार्डों में जोड़ने के पश्चात आधार कार्ड धारकों की सहायता से उनके वायोमैट्रिक पहचान चिन्हों का उपयोग कर डीलर ने 95 किग्रां गेहूं एवं 19 लीटर कैरोसीन का कूटरचित वितरण पोस मशीन के माध्यम से किया जाना दर्शा कर दुरुपयोग किया गया है। डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,11,15 व 17सी का उलंघन किया गया है। अपीलान्ट अन्य प्रकरणों का हवाला देते हुये अपना प्रकरण पुनः जांच हेतु डीएसओ भरतपुर को भिजवाना चाहता है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन किया गया। पैरोकार रसद के कथन पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 17-02-2017 का अवलोकन किया गया। तहत पत्रावली डीएसओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 6 खावि/कम्प्यूटर पॉस/एफआईआर/16-17 दिनांक 21.11.2016 के साथ प्राप्त सूची के आधार पर दर्ज कर अपीलान्ट डीलर को एक कारण वताओ नोटिस दिनांक 4.1.2017 को जारी किया गया है, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.1.2017 नियत की गई है। तारीख पेशी दिनांक 25.1.2017 को अपीलान्ट डीलर द्वारा जवाब पेश किया गया है जिसमें उसने आरोप को इन्कार किया है। दिनांक 25.1.2017 के बाद आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.2.2017 नियत की गई है। तारीख पेशी दिनांक 8.2.2017 के बाद आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.2.2017 को तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। तहत न्यायालय द्वारा तीन तारीख पेशीयों पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहत न्यायालय ने आरोप के सत्यता के सम्बन्ध में अपने स्तर पर कोई जांच साक्ष्य वगैरा नहीं लिये गये हैं, सारी कार्यवाही पोस मशीन के आधार पर करते हुये समाप्त कर दी गई है, जो किसी प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती है। तहत न्यायालय को चाहिये था कि वे आरोप के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपभोक्ताओं को बयान वगे. लेकर विस्तृत जांच कर अपना अभिमत व्यक्त करते परन्तु यहाँ ऐसा नहीं किया जाकर मात्र खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 6 खावि/कम्प्यूटर पॉस/एफआईआर/16-17 दिनांक 21.11.2016 के साथ प्राप्त सूची के अनुसार नोटिस जारी कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलान्ट के विरुद्ध अनियमितताओं को किस साक्ष्य व आधार पर सिद्ध माना गया और अपीलांट के जवाब को किस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया अपीलाधीन आदेश में कोई उल्लेख नहीं है। न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब लागू होता है जबकि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावे, तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। योग्य अभिभाषक का अपनी लिखित बहस में यह

.....3

  
जिला कलेक्टर  
भरतपुर (राज.)

(3)

अपील / रसद / 07 / 2022  
अनिल कुमार बनाम डी.एस.ओ.भरतपुर

भी कथन किया कि इसी प्रकार के अन्य प्रकरण जो माननीय खाद्य आयुक्त जयपुर से पुनः सुनवाई हेतु प्राप्त हुये हैं उन्हें जिला रसद अधिकारी को पुनः सुनवाई हेतु रिमान्ड किया गया है प्रार्थी का प्रकरण निर्णायक विन्दू उनके समान ही हैं। अतः इस प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु जिला रसद अधिकारी भरतपुर को रिमान्ड किये जाने का निवेदन किया है।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 02.02.2022 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2019 अपारत किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित (रिमान्ड) किया है कि


“ .....रिवजनकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें.....।”

मेरी विनम्र राय में माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.2.2022 के परिप्रेक्ष्य में ट्राईल कोर्ट को गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय लिये जाने हेतु को रिमान्ड किया जाना उचित होगा।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 17-02-2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण का पुनः परीक्षण करें, अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार विधि सम्मत पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 24-01-2023 को सुनाया गया।

  
(अनिल रंजन)  
जिला कलक्टर,  
भरतपुर

